आयुध लाइसेंस जारी होने की प्रक्रिया

शस्त्र लिपिक शस्त्रों के आवेदन पत्रों एवं फाइलों का रख रखाव करता है। शस्त्र के लाइसेंस की प्राप्ति के लिए आवेदक को सर्वप्रथम निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र भरकर शस्त्रलिपिक के पास जमा करना होता है। तत्पश्चात आवेदन पत्र की SSP/SP के माध्यम से जांच करायी जाती है कि आवेदक किसी आपराधिक मामले में वांछित तो नहीं है या संदिग्ध चरित्र का तो नहीं है। आवेदक को अपने से संबंधित कतिपय बिंदुओं पर एक नोटरी शपथ पत्र भी दाखिल करना पड़ता है जिसमें उसकी उम्र , चल-अचल, सम्पत्ति किन-किन थाना क्षेत्रों में स्थित है, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए कहाँ-कहाँ रहा, पूर्व से कितने लाइसेंस है, उसके विरुद्ध की कोई अपराध/प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी थाने में तो कभी पंजीकृत नहीं हुई है, वह बादीदार तो नहीं है आदि बिंदुओं का उल्लेख होता है।

उपजिलाधिकारी द्वारा भी यह जांच कराई जाती है कि आवेदक का ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा या बैंक का बकाया तो नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक के रहन-सहन के स्तर की जांच भी उपजिलाधिकारी स्तर से करायी जाती है।

एस०पी० एवं एस०डी०एम० की संस्तुति प्राप्त होने के बाद जिलाधिकारी द्वारा लाइसेंस देने के लिए विचार किया जाता है। लाइसेंस स्वीकृत होने के बाद थानावार सूची बनाई जाती है। आवेदक को लाइसेंस पुस्तिका जारी होती है जिसमें अवधि एवं शस्त्र का प्रकार लिखा होता है।

शस्त्र नवीनीकरण :— लाइसेंस की समाप्ति अवधि के पूर्व आवेदक शस्त्र के लाइसेंस की नवीनीकरण हेतु नियमानुसार शुल्क जमा कर आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात् आवेदन पत्र की सम्बन्धित थाने से जांच करायी जाती है। यदि थानाध्यक्ष शस्त्र लाइसेंस की नवीनीकरण हेतु संस्तुति करता है तो नवीनीकरण किया जाता है। विलम्ब होने पर बिलम्ब शुल्क लगता है।

इसके अतिरिक्त शस्त्र का हस्तान्तरण भी नियत प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर किया जाता है। सामान्यतया या वसीयत के आधार पर हस्तान्तरण होता है।

लाइसेंस हेतु शुल्क

नया लाइसेंस				नवीनीकरण			
(1)	SBBL गन	-	रु० 40=00	(1)	SBBL गन	-	रु० 60=00
(2)	DBBL गन	-	रु० 40=00	(2)	DBBL गन	-	रु० 60=00
(3)	अवर्जित रायफल	-	रु० 100=00	(3)	अवर्जित रायफल	-	रु० 150=00
(4)	अवर्जित पिस्टल/रिवाल्वर	-	रु० 100=00	(4)	अवर्जित पिस्टल/रिवाल्वर	-	रु० 150=00

बिलम्ब शुल्क रु० 20=00 है।

विविध प्रकार के शस्त्र के लिए स्टाम्प शुल्क का विवरण निम्नवत है -

SBBL गन	-	रु० 1000=00
DBBL गन	-	रु० 1000=00
अवर्जित रायफल	-	रु० 1500=00
अवर्जित पिस्टल/रिवाल्वर	-	रु० 2000=00

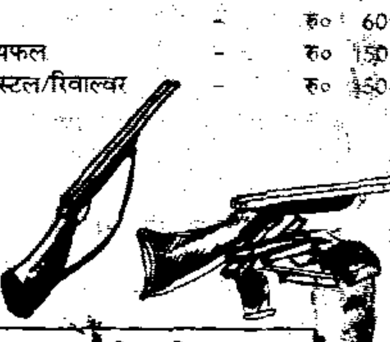

राजस्व विभाग का निर्बल वर्ग के उत्थान में योगदान

जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदार, काश्तकारों से मनमाना लगान वसूल करता था तथा सरकार एवं काश्तकार के बीच मध्यवर्ती की हैसियत से काश्तकारों का शोषण करता था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद लोकप्रिय सरकार सत्ता में आयी तथा उ० प्र० में जमींदारी के विनाश हेतु एक अधिनियम जिसे **''उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950''** कहा जाता है बनाया गया, जो 1-7-1952 से लागू है। इस अधिनियम द्वारा जमींदारी का विनाश तो हुआ ही साथ ही साथ समय-समय पर महत्वपूर्ण संशोधनों द्वारा निर्बल वर्ग के उत्थान के लिए इस अधिनियम में निम्न व्यवस्था तथा प्रक्रिया दी गई है :-

खेती के कब्जो का विनियमितीकरण

धारा 122 बी [4] एफ के अनुसार यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति ग्राम सभा की ऐसी भूमि पर, जो सार्वजनिक प्रयोजन की नहीं है, दिनांक 3-6-1995 से पूर्व से खेती करता चला आ रहा हो तथा इस भूमि को मिला कर उसके परिवार में सम्पूर्ण उ०प्र० में 3.125 एकड़ [5 पक्के बीघा] से कम भूमि है तो उसका कब्जा विनियमित करते हुए उसे असंक्रमणीय भूमिधर के अधिकार दिये जाते हैं। इसके लिए उप जिलाधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। लेखपाल अपनी जांच में स्वयं भी ऐसे मामलों की जानकारी होने पर तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।